



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 561

राँची : 21/6/2024

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।  
वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, गुमला।

विषय :- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा अन्तर्गत मौजा- बगडू में बॉक्साइड खनन हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0 + 2.17 हे0 सेपटीजोन एरिया सम्मिलित) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का पत्रांक 852 दिनांक 17.05.2024


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा अन्तर्गत मौजा- बगडू में बॉक्साइड खनन हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0 + 2.17 हे0 सेपटीजोन एरिया सम्मिलित) वनभूमि अपयोजन का संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया गया था। उक्त संशोधित प्रस्ताव की समीक्षोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ/कमियाँ पाया गया है :-

1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी के पार्ट-II में Working plan prescription नहीं दर्शाया गया है।
2. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप (आरेखन कर) अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।
3. Land Schedule duly authenticated by revenue official अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।
4. Statement showing details of forest area involved in the proposal (land schedule) अपलोड नहीं किया गया है।
5. डालटेनगंज वन प्रमण्डल, डालटेनगंज द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु निर्गत उपयुक्ता प्रमाण पत्र अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।
6. वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची के मौजा-सुरसांग में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित पैच 5 हे0 से कम है, जो वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अभिरूप नहीं है।
7. प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की गणना सूची (संबंधित वन प्रमण्डल पदा0/वन क्षेत्र पदा0 का सत्यापित प्रति) अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।
8. KML file में Forest & Non-forest land दर्शाया नहीं गया है।
9. KML file में विभिन्न Component को नहीं दर्शाया गया है।
10. पार्ट-I में अंकित Component wise breakup & Mining plan में भिन्नता है।

अतएव उपरोक्त कमियाँ/त्रुटियाँ का निराकरण कराते हुए निराकरण प्रतिवेदन अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

  
21/6/24  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।